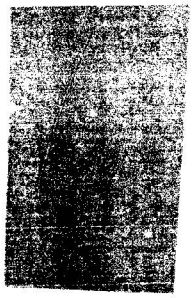

"प्रशासन आपके द्वार"

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांकःप.5 (16)राज–6/ 92 /20 जयपुर,दिनांक 30–11–2004
समस्त जिला कलेक्टर्स,
राजस्थान

परिपत्र

विषयः–विरासत के नामान्तरण में भूमि सभी उत्तराधिकारियों के नाम करने के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि ऐसे प्रकरण है जिनमें कृषक की मृत्यु हो जाने पर उसके खातेदारी भूमि के उत्तराधिकारी सम्बन्धी नामान्तरण मृतक के केवल कुछ वारिसों के नाम खोल कर सम्पूर्ण भूमि उसके नाम दर्ज कर दी गई जबकि नियमानुसार मृतक के सभी वारिसों के नाम नामान्तरण दर्ज होना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अन्य वारिसों को अनावश्यक परेशानी व मुकदमेबाजी का सामना करना पडता है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी मृतक खातेदार कृषक के उत्तराधिकारी सम्बन्धी नामान्तरण में केवल कुछ वारिसान का नाम अंकित किया गया है एवं अन्य उत्तराधिकारियों के नाम नहीं जुडे हैं तो ऐसे प्रकरणों में यदि मृतक के सभी उत्तराधिकारी आपसी सहमति के आधार पर लिखकर देते है कि उनकी पुश्तैनी भूमि पूर्व में छूटे उत्तराधिकारियों को शामिल कर नियमानुसार विभाजन कर दिया जावें तो तदनुसार तहसीलदार द्वारा नियमानुसार सत्यापन कर सभी उत्तराधिकारियों (पुत्रियों को सम्मिलित करते हुए)के नाम हिस्सानुसार नियमानुसार नामान्तरण खोलकर भूमि का बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण भी अभियान में कर दिया जावें ।

भवदीय,

(बी.एल.मीना)
शासन उप सचिव